



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042024-253582  
CG-DL-E-06042024-253582

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1543]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946

No. 1543]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

वस्त्र मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2024

का.आ. 1626(अ).— केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति के नामांकन को एतद्वारा अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	अधिनियम की धारा
1.	श्री विवेक रंजन मैत्रेय, निदेशक, हथकरघा और रेशम उत्पादन, बिहार सरकार	अधिनियम की धारा 4(3)(छ) के तहत बिहार सरकार की अनुशंसा पर नामित

[फा.सं.25011/17/2019-रेशम]

प्राजक्ता एल.वर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2th April, 2024

**S.O. 1626(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby notifies the nomination of following person to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Act:

S. No.	Name and designation	Section of the Act
1	Shri Vivek Ranjan Maitrey, Director, Handloom & Sericulture, Govt. of Bihar	Nominated on the recommendation of Govt. of Bihar under Section 4(3) (g) of the Act.

[F.No.25011/17/2019-Silk]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.